

- आदेश :-

अन्यक्त प्रार्थियों ने भरे समक्ष उपस्थित होकर संपरोक्त प्रकार अभिलेख पुरस्ती हेतु सिधे एवं इस पुरस्ती की प्रतीति हेतु जहानति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गयी है। उक्त पुरस्ती वस्तुतः अभिलेख नूतने सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज पुरस्ती परस्पर अलग-अलग प्रार्थियों ने प्राप्त की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज पुरस्ती सकारण अभिलेख में उक्त प्रतीति विनियमित इन्द्राज पुरस्ती किये जाने का आदेश दिये जाते हैं :-

पूरे इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज	
1	2	3	4	5	6	
ग्राम का नाम	संख्या	पारिवार का नाम	खसरा संख्या	संख्या	खसरा संख्या	पारिवार का नाम
पोगी 255		ओंकार मल पुत्र गोपीचन्द्र जाति आगी 255	735	2-32	ओंकार मल 735 राजोतिया पुत्र गोपीचन्द्र शेषराम अनवन्दी आगी	2-32

421  
21-X-21

क्रमांक :-  
विधिपालनाई :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रभारी  
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डी.डवाना)  
दिनांक :-

क्रमांक :-  
विधिपालनाई :-

शिविर प्रभारी  
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डी.डवाना)  
P.O. Moulasar, Dist. Muzaffargarh

1. पारिवार हेतु पोगी को भेजाकर लेख है कि अन्य न्यायालय का प्रमाण नहीं हो कि निर्णय पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर